



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 736]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2009/पौष 10, 1931

No. 736]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2009/PAUSA 10, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 933(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 10 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मुरारी लाल तायल, को 3 नवम्बर, 2009 (पूर्वाह्न) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक या इसमें से जो भी पूर्वतर हो, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड(i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 784(अ) तारीख 6 अक्टूबर, 2003 द्वारा यथा अधिसूचित किए गए थे, शासित होंगे।

[फा. सं. पीसी-5/2/2008-सीएस]

रेणुका कुमार संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2009

G.S.R. 933(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 read with sub-section (1) of Section 10 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints Shri Murari Lal Tayal as Member of the Competition Commission of India with effect from 3rd November, 2009 (forenoon) for a period of five years or till he attains the age of 65 years or until further orders, whichever is the earliest.

2. The terms and conditions of his service will be governed by Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003 as notified vide notification No. G.S.R. 784 (E), dated 6th October, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i).

[F.No.PC-5/2/2008-CS]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.